

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

—: आदेश :—

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-6/वेतन/2020/2149

भोपाल, दिनांक 12.11.2020

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्र. एफ-4-1/2008/ सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.8.2008 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा चिकित्सा अधिकारी/दंत शल्य चिकित्सकों को दिनांक 26.08.2008 से चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं। इन आदेशों के परिपालन में निम्नलिखित 114 चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में अंकित दिनांक से चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड-पे 6600 एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक एवं दिनांक 01.04.2017	लोक सेवा आयोग का चयन वर्ष/ नियमितिकरण वर्ष	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+6600 दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1-	DR. PRITI DWIVEDI	1663	2011	01-01-2018
2-	DR. ABHISHEK JAIN	1666	2011	01-01-2018
3-	DR. SMT. SAVITA CHAMDIYA	1672	2011	01-01-2018
4-	DR. RENU SHARMA (DUBE)	1677	2011	01-01-2018
5-	DR. PAMILA SARIKA JEMS	1683	2011	01-01-2018
6-	DR. SHASHANK PANDE	1684	2011	01-01-2018
7-	DR. RADHIKA GUPTA	1685	2011	01-01-2018
8-	DR. SANDHYA BANGAR	1687	2011	01-01-2018
9-	DR. DEEPA DUBEY	1689	2011	01-01-2018
10-	DR. SHIKHA BHATNAGAR (SHRIVASTAV)	1694	2011	01-01-2018
11-	DR. RESHMA PATHAN	1695	2011	01-01-2018
12-	DR. PULAK JESWANI	1696	2011	01-01-2018
13-	DR. SAURABH JAIN	1698	2011	01-01-2018
14-	DR. SANTOSH SINGH RAGHUWANSHI	1699	2011	01-01-2018
15-	DR. POOJA SHARMA	1700	2011	01-01-2019
16-	DR. NITIN KUMAR JAIN	1705	2011	01-01-2018
17-	DR. SMT. PRABHA TIWARI	1708	2011	01-01-2018
18-	DR. POOJA GUPTA	1712	2011	01-01-2019
19-	DR. SMT. ANSHU MISHRA	1713	2011	01-01-2018
20-	DR. RADHA SINGH	1717	2011	01-01-2018
21-	DR. DINESH GOYAL	1722	2011	01-01-2018
22-	DR. SONALI THAKRE	1731	2011	01-01-2018
23-	DR. PRASHANT PATHAK	1732	2011	01-01-2018
24-	DR. GULAB TIWARI	1733	2011	01-01-2018
25-	DR. G.C. CHAURASIYA	1734	2011	01-01-2018
26-	DR. SOURABH JAIN	1739	2011	01-01-2018
27-	DR. SAURABH JAIN	1751	2011	01-01-2018
28-	DR. SAKET SAXENA	1752	2011	01-01-2018
29-	DR. RAJESH NAMDEO	1753	2011	01-01-2018
30-	DR. NITIN BANSAL	1755	2011	01-01-2018
31-	DR. YOGESH NIKHARA	1758	2011	01-01-2018
32-	DR. SMRITI GUPTA	1759	2011	01-01-2018
33-	DR. BHUPENDRA SHARMA	1760	2011	01-01-2018
34-	DR. VIPIN SHARMA	1762	2011	01-01-2018
35-	DR. DARPAN TOKE	1763	2011	01-01-2018
36-	DR. SHILPI JAIN	1766	2011	01-01-2018
37-	DR. ANURADHA NAIYER	1768	2011	01-01-2018

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक एवं दिनांक 01.04.2017	लोक सेवा आयोग का चयन वर्ष / नियमितकरण वर्ष	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+6600 दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
38-	DR. BHARAT YADAV	1773	2011	01-01-2018
39-	DR. VISHWA MANGAL SINGH CHANDEL	1775	2011	01-01-2018
40-	DR. AMIT ATRE	1776	2011	01-01-2018
41-	DR. JITENDRA KUMAR SHARMA	1777	2011	01-01-2018
42-	DR. BRIJESH KUMAR MANGAL	1780	2011	01-01-2018
43-	DR. SUNIL KUMAR GAUTAM	1781	2011	01-01-2018
44-	DR. VINAY KUMAR GOLANDA]	1782	2011	01-01-2018
45-	DR. RAVINDRA KUMAR NAIYER	1783	2011	01-01-2018
46-	DR. AKANSHA PANDE	1786	2011	01-01-2018
47-	DR. ASHISH SHARMA	1787	2011	01-01-2018
48-	DR. VARSHA RAJEEV CHAWLA	1788	2011	01-01-2018
49-	DR. RAVINDRA GUPTA	1791	2011	01-01-2018
50-	DR. SHUSHIL SHARMA	1793	2011	01-01-2018
51-	DR. SATISH KUMAR RAGHUWANSHI	1794	2011	01-01-2018
52-	DR. ALOK KUMAR GUPTA	1795	2011	01-01-2018
53-	DR. TANMAY SHARMA	1796	2011	01-01-2018
54-	DR. RAHUL DWIVEDI	1799	2011	01-01-2018
55-	DR. PRAKASH CHANDRA VERMA	1800	2011	01-01-2018
56-	DR. LAL PRAVEEN SINGH	1806	2011	01-01-2018
57-	DR. PANKAJ KUMAR JAIN	1808	2011	01-01-2018
58-	DR. RITU SINGH SHEKHAWAT	1810	2011	01-01-2019
59-	DR. SMT. SEEMA SINGH	1812	2011	01-01-2018
60-	DR. RASHMI DIXIT	1814	2011	01-01-2018
61-	DR. ANAND DAS SHARMA	1815	2011	01-01-2018
62-	DR. MANISH CHAURASIA	1816	2011	01-01-2018
63-	DR. LAXMI NARAYAN RUHELA	1818	2011	01-01-2018
64-	DR. MANISH KUMAR SINGH	1820	2011	01-01-2018
65-	DR. SMT. SUPRIYA ROHIT	1822	2011	01-01-2018
66-	DR. SATEESH KUMAR NEMA	1824	2011	01-01-2018
67-	DR. NARENDRA KUMAR GOME	1825	2011	01-01-2018
68-	DR. RITESH PATIDAR	1828	2011	01-01-2018
69-	DR. GAURAV CHOUDHARY	1833	2011	01-01-2018
70-	DR. MOHD. ILIYAS	1835	2011	01-01-2018
71-	DR. SHARAD KUMAR CHAURASIA	1837	2011	01-01-2018
72-	DR. SUNITA TANTUWAY	1838	2011	01-01-2018
73-	DR. RASHMI WAGHMARE	1842	2011	01-01-2018
74-	DR. JYOTI PUWARE	1843	2011	01-01-2018
75-	DR. SHARAD VIRPARA	1856	2011	01-01-2018
76-	DR. SHUBHRA VIDHYARTHI	1858	2011	01-01-2018
77-	DR. HEMANT KUMAR PANCHOLI	1860	2011	01-01-2018
78-	DR. RAJENDRA KUMAR AHIRWAR	1861	2011	01-01-2018
79-	DR. VINOD KUMAR DAHAYAT	1862	2011	01-01-2018
80-	DR SAURABH BORASI	1864	2011	01-01-2018
81-	DR. KU. INOSENT MASIH	1865	2011	01-01-2018
82-	DR. BRIJENDRA SINGH CHHARI	1872	2011	01-01-2018
83-	DR. REKHA GOME	1874	2011	01-01-2018
84-	DR. CHANDRA PAL SHAKYA	1879	2011	01-01-2018
85-	DR. RAKESH KUMAR SAGARIYA	1884	2011	01-01-2018
86-	DR. NITENDRA RAWATKAR	1885	2011	01-01-2018
87-	DR. J.K. SINGH	1886	2011	01-01-2018
88-	DR. B.R. PRAJAPATI	1890	2011	01-01-2018

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक एवं दिनांक 01.04.2017	लोक सेवा आयोग का चयन वर्ष/ नियमितिकरण वर्ष	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+6600 दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
89-	DR. BENIRAM MAHOR	1891	2011	01-01-2018
90-	DR. ARUN MALVIYA	1892	2011	01-01-2018
91-	DR. SURESH KATARA	1894	2011	01-01-2018
92-	DR. DEEPAK PALDIYA	1896	2011	01-01-2018
93-	DR. UPENDRA KORI	1900	2011	01-01-2018
94-	DR. BHARAT KUMAR AHIRWAR	1904	2011	01-01-2018
95-	DR. KIRAN ATHIYA	1909	2011	01-01-2018
96-	DR. AMRIT LAL KOL	1912	2011	01-01-2018
97-	DR. YASHWANT JAMRE	1914	2011	01-01-2018
98-	DR. ABHISHEK RAIKWAR	1915	2011	01-01-2018
99-	DR. SMT. NAMRATA GAJBHIYE	1917	2011	01-01-2018
100-	DR. SUNITA SINGH BARODA	1918	2011	01-01-2018
101-	DR. BHARTI SONKESHARIYA	1925	2011	01-01-2018
102-	DR. KIRTI BORASI	1926	2011	01-01-2018
103-	DR. AJAY GIRWAL	1928	2011	01-01-2018
104-	DR. PARAS THAKUR	1931	2011	01-01-2018
105-	DR. KRISHNA SINGH WASKALE	1933	2011	01-01-2018
106-	DR. SUNIL KUMAR CHAUHAN	1936	2011	01-01-2018
107-	DR. PRASHANT TIWARI	1943	2011	01-01-2019
108-	DR. SOM PRAKASH PANDE	1956	2011	01-01-2019
109-	DR. VISHAL KASOTIYA	1958	2011	01-01-2019
110-	DR. RUBI KHAN	1959	2011	01-01-2019
111-	DR. PRADEEP MISHRA	1962	2011	01-01-2018
112-	DR. LOKESH BARWAL	1979	2012	01-01-2019
113-	DR. RAJVEER SINGH KUSHWAHA	1991	2012	01-01-2019
114-	DR. KAMAL RAJ SINGH BAGHEL	1993	2012	01-01-2019


- 02/ जिन चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
- 03/ जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड-पे 6600 स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए :-
- 04/ चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की सेवा में कोई अवधि डाईजनों की गई हो तो उनकी वरिष्ठ श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- 05/ यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये।
- 06/ यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल मुख्यालय को तथ्यात्मक जानकारी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

[Handwritten Signature]

/ यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हो चुके हो, त्याग पत्र दे दिया हो अथवा उनकी नियमित पदोन्नति हो चुकी हो तो ऐसे चिकित्सक को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।

08/ चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित अधिकारी की सेवायें, उसकी संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से, मूलभूत नियम के सहायक नियम 37 अनुसार, कार्यालयीन अभिलेखों से सत्यापित हो। सेवाओं के सत्यापन की अवधि में सेवा अवरोध की स्थिति में वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ स्वीकृत नहीं किया जाये तथा ऐसे प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ आवश्यक निर्णय के लिये इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित


(सपना एम लोवंशी)

अपर संचालक (विज्ञप्त)


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृ.क्र. क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वेतन / 2020 / 2150

भोपाल, दिनांक 12.11.2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, सिटी सेन्टर, ग्वालियर।
8. संचालक, गैस राहत, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
10. अपर संचालक (वित्त)/अपर संचालक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
11. उप संचालक (विज्ञप्त)/कार्या.स्थापना/गोपनीय/लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
13. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
14. समस्त संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश।
17. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
18. समस्त अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
19. समस्त अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
20. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इन्दौर, मध्य प्रदेश।
21. अधीक्षक, पुलिस चिकित्सालय/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय एवं जिला जेल, मध्य प्रदेश।
22. समस्त कमाण्डेंट, विशेष सशस्त्र बल, मध्य प्रदेश।
23. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
24. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
25. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26. आदेश नस्ती।


अपर संचालक (विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश